RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार, 17 दिसंबर 2022 वर्ष 04 अंक 208 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र में एनसीबी का एक्शन !

नवी मुंबई से एक करोड़ की ड्रग्स जब्त

मुंबई : मुंबई और चेन्नई एनसीबी ने नवी मुंबई में एक संयुक्त अभियान में ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की. ये छापेमारी नवी मुंबई के उल्वे इलाके में की गई. रेड के दौरान जितनी ड्रग्स मिली है उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपये से अधिक कीमत बताई जा रही. इससे पहले 14 दिसंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई के धारावी में ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था. एनसीबी ने ड्रग तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने से पहले चार दिन तक अभियान चलाया था, जिसके बाद पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. इस दौरान मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई से कुल 1407 सीबीसीएस बोतलें (140 किलोग्राम) और 6000 नाइट्राजेपाम टैबलेट (3.6 किलोग्राम) अवैध रूप से डायवर्ट की गईं थी, जिसके बारे में एनसीबी को जानकारी मिली थी. एनसीबी के पास आंतरिक स्रोतों से जानकारी मिली थी कि मुंबई स्थित एक सिंडिकेट अवैध रूप से डायवर्ट की गई दवा दवाओं की अंतर-राज्यीय तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था.

एनसीबी ड्रग्स को लेकर एक्टिव

मुंबई में एनसीबी एक्टिव रहती है. ये आए दिन मुंबई की अलग-अलग जगहों पर ड्रग्स के लिए छापेमारी करती रहती है और नशे की खेप को बरामद करती रहती है. इसी साल अगस्त में भी मुंबई एनसीबी को पालघर से लगभग 1400 करोड़ मूल्य की MD ड्रग्स हाथ लगी थी. इस केस में लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. जो नशीली दवाएं पुलिस को हाथ लगी थी, वो 700 किलो की थी.

महाविकास अघाड़ी के मोर्चे को पुलिस ने सशर्त दी इजाजत...

सुरक्षा के होंगे पुख्ता बंदोबस्त

मुंबई : महापुरुषों के लगातार अपमान, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शनिवार को मोर्चा निकालने जा रही है. इसके लिए पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किया है. पुलिस ने महाविकास अघाड़ी के मोर्चे को इजाजत दे दी है. मोर्चा नागपाड़ा में जे जे फ्लाईओवर से शुरू होगा और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के पास समाप्त होगा. इसके लिए सुबह 11 से 2 बजे तक का समय दिया गया है.

महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मोर्चे में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब दो हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. इसमें दो एडिशनल कमिश्नर और 4 से 5 DCP को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही मुंबई पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी करेगी. मुंबई पुलिस ने कुछ शर्तों पर मोर्चे को इजाजत दी है. पुलिस ने आयोजकों से कहा है कि रैली के दौरान ऐसा को भाषण या वक्तव्य ना दें जिससे किसी समाज की भावना को ठेस पहुंचे. साथ ही पुलिस ने रैली की दौरान लाठी, चाकू, तलवार या किसी भी तरह का शस्त्र साथ में नहीं रखने के लिए कहा है, जो आर्म्स एक्ट के तहत गैरकानूनी हैं.

मुंबई में ऐप आधारित प्रीमियम इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत...

ठाणे से बांद्रा के बीच चलेगी

मुंबई : मुंबई ने मोबाइल ऐप आधारित प्रीमियम इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत 12 दिसंबर से कर दी है। यह बस ठाणे से बांद्रा कुर्ला के बीच चलेगी। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) की ओर से शुरू की गई इस सेवा के साथ ही मुंबई देश में सर्व इलेक्ट्रिक प्रीमियम बस सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। सोमवार से शनिवार तक चलने वाली यह बस पहले चरण में ऑल डे रूट और एक्सप्रेस रूट पर चलेगी।

'BEST चलो बस' सेवा में यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। वे मोबाइल ऐप BEST chalo bus से अपनी सीट भी बुक करा सकेंगे। रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को 50 फीसद की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वइ चार्जर, लक्जरी सीट, लाइव ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी। इएरळ की आगे अन्य व्यस्त रूटों पर 200 से अधिक बस शुरू करने की योजना है।

भिवंडी में इतने लाख का गुटखा सहित ट्रक जब्त !

7 लाख 11 हजार 360 रुपए कीमत के स्टार नामक प्रतिबंधित गुटखा की 38 बड़े बैग बरामद

भिवंडी : भिवंडी शहर और ग्रामीण परिसर के गोदामों में दूसरे राज्य से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तंबाकू का स्टॉक विक्री के लिए गोदामों में रखा जाता है। प्रतिबंधित गुटका, तंबाकू को भारी मुनाफे के साथ मुंबई सहित अन्य शहरों में सप्लाई किया जाता है। अन्न सुरक्षा अधिकारी की टीम और भिवंडी पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी पान टपरियों, सुपारी जनरल स्टोर की दुकानों पर प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तमाखू की बिक्री निर्वाध रूप से जारी हैं। नारपोली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि ट्रक के माध्यम से प्रतिबंधित गुटखा की बड़ी खेप आ रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले के आदेश पर सहायक पुलिस आयुक्त किशोर खैरनार, नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मदन बल्लाल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक दिलीप वेडे, पुलिस हवलदार खांजोडे, हाके,सस्कर पुलिस सिपाही गोडसे, ढोंबरे आदि ने माणकोली नाका उड़ानपुल के नीचे नाकाबंदी की थी।

ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया

नाकाबंदी के दौरान पुलिस को संदिग्ध टाटा ट्रक एम.एच.04 के.यु.6113 और टाटा एस ट्रक क्रमांक एम.एच. 04 के.यु.2053 को रोक कर तलाशी लेकर दोनों ट्रकों से 7 लाख 11 हजार 360 रुपए कीमत के स्टार नामक प्रतिबंधित गुटखा की 38 बड़े बैग बरामद किया गया। नारपोली पुलिस ने माल सहित दोनों ट्रकों को जब्त कर ड्राइवर सुदीन विष्णु राम (37) निवासी काशीमीरा और वसीम हुसैन शेख (39) निवासी कुर्ला (वेस्ट) को हिरासत में ले लिया है।

एसीबी ने दो पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया

मुंबई : महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी। अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता दक्षिण मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी है और एक सहायक निरीक्षक सहित दो पुलिसकर्मियों ने मामले में उसकी मदद करने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी।

अधिकारी ने कहा, ''शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी से संपर्क करने के बाद, हमने दावों का सत्यापन किया और बृहस्पतिवार को दो पुलिसकर्मियों को 37,000 रुपये स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। कांस्टेबल को पहले पकड़ा गया और एपीआई को पूछताछ के आधार पर पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि दोनों को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

संपादकीय / लेख

जानलेवा सफाई

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

इक्कीसवीं सदी में यह शर्मनाक स्थिति है कि तमाम वैज्ञानिक-तकनीकी उन्नति के बावजूद बीते पांच सालों में सीवर व सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान चार सौ अनमोल जिंदगियां हमने गवां दीं। इस साल भी 48 लोगों के मरने की बात कही जा रही है। निस्संदेह, इसके मूल में जहां तंत्र की विफलता निहित है, वहीं समाज की संवेदनहीनता भी है। विडंबना है कि स्थानीय निकाय और सफाई करवाने वाले लोग इस दौरान मरने वाले सफाई कर्मियों के आश्रितों के पुनर्वास की जवाबदेही से मुक्त रहते हैं। निस्संदेह, ऐसी मौतें बेहद कष्टकारी हैं और विसंगति के समाज के मुंह पर तमाचा है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने जब यह जानकारी लोकसभा में दी तो सूचना कई सवालों को जन्म दे गई। ये आंकड़े हमारे विकास के थोथे दावों की हकीकत बताते हैं। आखिर क्यों कुछ लोग अपने परिवार के भरण-पोषण के लिये अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। आखिर खतरे की आशंका के बावजूद क्यों वे अपना जीवन जोखिम में डालने को बाध्य हैं। क्यों हम ऐसी तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाये जो सफाई कर्मियों को चेता सकें कि सीवर या सैप्टिक टैंक में जहरीली गैस विद्यमान है। क्यों सफाई कर्मी पर्याप्त सुरक्षा व जीवन रक्षा उपकरणों के न होने के बावजूद मौत के कुओं में उतरते हैं। कई बार खतरे में फंसे व्यक्ति को बचाने के प्रयास में कई लोग जान गवां बैठते हैं। यदि समय रहते बचाव व राहत के उपाय अमल में लाये जाएं तो कई जानें बचायी जा सकती हैं। निस्संदेह, यह राहत की बात है कि लंबे सामाजिक आंदोलनों व कतिपय राजनेताओं की सार्थक पहल के बाद देश हाथ से मैला ढोने के कलंक से मुक्त हो पाया है। दरअसल, हाथ से मैला ढोने के रोजगार निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के अमल में आने से इसे रोका जा सका है। इसके बावजूद यह प्रश्न परेशान करता है कि क्यों आज भी लाखों लोग सैप्टिक टैंकों व सीवर की सफाई के जोखिम भरे कार्य को करने के लिये बाध्य हैं।

दूसरी ओर केंद्र सरकार दावा कर रही है कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के बाद, श्रमिकों के पुनर्वास के लिये स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। साथ ही यह भी कि इन हादसों में मरने वाले श्रमिकों के अधिकांश परिवारों को मुआवजा भी दिया गया है। इसके बावजूद जरूरी है कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सीवर लाइन व सैप्टिक टैंकों में उतरने वाले सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा मास्क व ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने को कहा था। ताकि जहरीली गैस होने पर उनके प्राणों की रक्षा की जा सके। साथ ही जरूरी है कि समाज से असमानता को दूर करते हुए सफाई कर्मियों के मानवाधिकारों की रक्षा भी की जाए। यह व्यवस्था कर्म प्रधान होनी चाहिए। इस चुनौतीपूर्ण काम करने वालों को पर्याप्त वेतन और सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। ताकि वे गरिमापूर्ण ढंग से अपने कार्य को अंजाम दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाये। सही मायनों में यह वर्ग संरक्षण का हकदार है। जिससे इनके बच्चों की बेहतर परवरिश व पढ़ाई हो सके। इसके साथ ही पूरे देश में प्रयास होने चाहिए कि मशीनीकृत सफाई को प्राथमिकता मिले। इसका उद्देश्य रोजगार कम करके मशीनों पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय सफाई कर्मियों की जीवन सुरक्षा होना चाहिए। साथ ही सफाई के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवार की पहचान करने तथा भरण-पोषण के लिये दस लाख रुपये का मुआवजा देने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसका संवेदनशीलता के साथ अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा न हो कि पीड़ित सफाईकर्मी के आश्रित मुआवजा पाने की जद्दोजहद में लालफीताशाही का शिकार बनें। सवाल यह भी है कि अमृतकाल का उत्सव मनाते देश में कुछ लोगों के हिस्से में विष क्यों आया है?

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

फर्जी ट्वीट का खुलासा होने में 15-20 दिन क्यों लगे?

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कर्नाटक सीएम पर हमला

मुंबई : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के फर्जी ट्वीट मामले को लेकर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 दिनों से यह मामला गूंज रहा है, मुख्यमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ तो इसकी जांच होगी, लेकिन इसका खुलासा होने में इतना वक्त क्यों लगा? दिल्ली में बैठक होने से पहले यह खुलासा क्यों नहीं किया गया।

विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार के सरकारी आवास देवगिरी पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठाकरे ने कहा कि बुधवार को हुई दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में नया कुछ नहीं हुआ। सीमा विवाद पिछले 15 से 20 दिनों से गूंज रहा था तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, यह खुलासा करने में इतने दिन क्यों लग गए? सीमा इलाके में पुलिस कार्रवाई क्यों हुई? सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्य कुछ नहीं करें, यह सलाह नई नहीं है। जब-जब सवाल उठे, कर्नाटक का पक्ष लिया गया, महाराष्ट्र का नहीं। बेलगाम में अधिवेशन लेने की घोषणा क्यों की गई? सरकार को महाराष्ट्र के प्रति प्रेम है या नहीं, इसका उत्तर कौन देगा।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ

शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बीच बैठक हुई। इस दौरान बोम्मई के नाम से महाराष्ट्र के संबंध में किए गए विवादित ट्वीट का मामला उठा। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि यह उनका ट्विटर अकाउंट नहीं है। इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र का पक्ष रखें हरीश साल्वे: अजित पवार

विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मांग की है कि सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का पक्ष मजबूती से रखने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को नियुक्ति किया जाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को विनियोग बिल को लेकर चर्चा के दौरान उन्होंने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह मांग की। फडणवीस ने कहा कि वे खुद हरीश साल्वे से बात करेंगे। अजित पवार ने इस बारे में मुख्यमंत्री को एक भी पत्र लिखा है। पवार ने कहा कि कर्नाटक का पक्ष मुकुल रोहतगी रख रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र की तरफ से विदर्भ के पुत्र हरीश साल्वे की नियुक्ति होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, यह हम चलने नहीं देंगे।

अभी तक हल्ला बोल मोर्चा को अनुमति नहीं...

महापुरुषों का अपमान, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में महाविकास आघाड़ी 17 दिसंबर को मुंबई में हल्ला बोल मोर्चा निकालने जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने मोर्चा निकालने की अनुमति नहीं दी है। अजित पवार ने कहा कि अभी अनुमति नहीं मिली है, लेकिन पूरा भरोसा है कि हमें अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा कई एनजीओ इसमें शामिल होंगे। उन्होंने आम नागरिकों से मोर्चे में भाग लेने की अपील की।

सड़क घोटाले में शामिल ठेकेदार बनाएगा मनपा का पार्किंग

मुंबई : मनपा प्रशासन ने मुंबई में कालबादेवी और माटुंगा में दो जगहों पर अंडर ग्राउंड पार्किंग बनाने न निर्णय लिया है। मनपा ने इस पार्किंग को बनाने के लिए जिस ठेकेदार की नियुक्ति की है वह ठेकेदार मनपा के सड़क घोटाले में शामिल था इस तरह की जानकारी मनपा विरोधी पक्ष नेता रहे रविराजा ने लगाया है। रवि राजा ने कहा कि भ्स्टार्चार में शामिल ठेकेदार को एक तरह का काम दिया जो कि मुंबई में नई संकल्पना के साथ पार्किंग बनाई जा रही है। घोटाले में शामिल ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई थी.

मनपा विरोधी पक्ष नेता रवि राजा ने कहा कि एक तरफ मनपा में पिछले दो सालों के दरम्यान किये गए कामों की कैग से जांच चल रही है। इस बीच मनपा प्रशासन ऐसे काम का ठेका एक घोटाले में शामिल था। मनपा ने रेल कॉन कंपनी को ठेका दिया है। रवि राजा ने मनपा द्वारा पार्किंग बनाने के लिए दिए गए ठेके को रद्द करने की मांग की है। शहर में प्रति किमी वाहनों की संख्या 01 हजार 900 है। जो कि देश की राजधानी दिल्ली से अधिक है। 2014 के बाद से मुंबई में वाहनों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 में हुए एक सर्वे के मुताबिक मुंबई में वाहनों की संख्या 25.46 लाख थी. 2020 में वाहनों की संख्या 40 लाख के पार हो गई। जबकि 2022 में वाहनों की संख्या में 0.4 लाख की वृद्धि हुई है और कुल वाहनों की संख्या 44 लाख तक पहुंच गई है। वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ मुंबई में पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो रही है।जिससे मुंबई में ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो रही है। मनपा ने इस समस्या को दूर करने के लिए मशीनीकृत पार्किंग स्थल (शटल और रोबोपार्क प्रणाली) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मुंबई में पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने की वजह से हुआ झगड़ा...

चाकूबाजी और मारपीट में एक की मौत

मुंबई : मुंबई के दादर इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां मामूली बात पर एक शख्स को मौत के घाट उतर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हुआ और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। माटुंगा पुलिस के मुताबिक, पब्लिक टॉयलेट की देखरेख करने वाले आरोपी ने कथित रूप से उपयोग शुल्क नहीं देने पर एक शख्स की हत्या कर दी। हालांकि हत्या से पहले दोनों में झगड़ा होने की बात सामने आई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना बुधवार की रात को मध्य मुंबई के दादर इलाके में एक बस स्टैंड के पास बने पब्लिक टॉयलेट में हुई।

मृतक की पहचान राहुल पवार के तौर पर हुई है। आरोप है कि राहुल पवार ने पब्लिक टॉयलेट का उपयोग किया और बिना इस्तेमाल के पैसे दिए वापस जाने लगा। इस बीच पब्लिक टॉयलेट की देखरेख करने वाले आरोपी विश्वजीत ने पवार को रोककर पैसे मांगे। जिसके बाद पवार भड़क गया और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात मारपीट तक आ गई। कथित रूप से पवार ने विश्वजीत पर चाकू से हमला किया, और तभी उसने पवार के सिर पर डंडे से वॉर कर दिया। जिससे पवार के सिर पर गंभीर चोटे आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। माटुंगा पुलिस के अधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा गया। पंचनामा और पूछताछ के बाद विश्वजीत को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शनिवार, 17 दिसंबर 2022

बॉम्बे हाईकोर्ट से रोक के बावजूद गोराई बीच पर बैलगाड़ी रेस...

मुंबई : जहां एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के गोराई बीच पर बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी की रेस पर पूरी तरह से रोक लगा कर रखी है. वहीं इस रोक के बावजूद भी यहां गोराई बीच पर यह रेस आयोजित कि गई। जानकारी एक अनुसार, यह कार्यक्रम गुरुवार सूबह 6 बजे आयोजित किया गया था, लेकिन पुलिस को इसकी जरा भी भनक भी नहीं लगी।

वहीं इस पूरी रेस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सेक्शन 11 के तहत पशु क्रुरता अधिनियम की धारा 1960 के तहत आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी दें कि, 2011 में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, खेल, प्रशिक्षण और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की।गौरतलब है कि बीते 1 दिसंबर को ही बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने या उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ

मुकदमा वापस लेने के सरकारी संकल्प (जीआर) को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। वहीं चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने इस मामले को आगामी 12 जनवरी, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था।

किशोरी से बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष जेल की सजा...

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक किशोरी से बलात्कार करने को लेकर 10 साल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश एम. पी. पटवारी ने अश्विन तारपे (28) को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया. विशेष लोक

अभियोजक विवेक काडू ने कहा कि तारपे ने मार्च 2013 में 17 वर्षीय पीड़िता के घर में तब प्रवेश किया था जब वह अकेली थी और चाकू के बल पर उसके साथ बलात्कार किया था. उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उसने फिर से उसके साथ कई बार बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अदालत के आदेश में कहा गया कि आरोपी और नाबालिग पीड़िता के बीच सहमति से संबंध थे, लेकिन चूंकि पीड़िता के नाबालिग होने के चलते उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है, इसलिए यह बलात्कार के दायरे में है.

आदमखोर बाघों को पकड़ो अन्यथा निलंबन

वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की वन अधिकारियों को चेतावनी

मुंबईः चंद्रपुर जिले में नरभक्षी बाघों ने आतंक मचा रखा है। बाघों ने अभी हाल ही में 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने जिले में बाघों के लगातार हमले पर चिंता प्रकट करते आदमखोर बाघों को तत्काल बंदी बनाने अन्यथा वन अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। चंद्रपुर में बाघों के हमलों में इस साल 44 लोगों की मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को मुल तालुका के कांतापेठ में देवराव सोपनकार, सावली तालुका के बाबूराव कांबले और 15 दिसंबर को खेडी में स्वरूपा येलट्टीवार की बाघ के हमले में मौत हो गई। इसके पहले 7 दिसंबर को पेटगांव में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वन मंत्री ने कहा कि बाघ के लगातार हमले और नागरिकों की मौत बेहद चिंता

की बात है। इन बाघों को तत्काल पकड़ने की आवश्यकता है। इस बारे में उन्होंने वन विभाग के प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी और सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अवनि बाघिन को गोली मारने पर हुआ था विवाद

बता दें कि वर्ष 2018 में यवतमाल जिले में एक नरभक्षी बाघिन अवनि को एक शिकारी के गोली मारने की घटना से खासा विवाद पैदा हो गया था। उस वक्त सुधीर मुनगंटीवार वन मंत्री थे। यवतमाल जिले के पांढरकावडा के आसपास अवनि का प्राकृतिक आवास था।

तीन किशोर लापता... अपहरण का मामला दर्ज

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उत्तान में तीन किशोर दोस्त अपने इलाके से लापता हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किशोरों की उम्र करीब 16 साल है और बुधवार शाम से उनका पता नहीं चल पा रहा है। मीरा भायंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस आयुक्तालय के तहत उत्तान थाने के अधिकारी ने कहा, ''उत्तान के धावगी में रहने वाले तीन लड़के खेलने गए थे लेकिन वे घर नहीं लौटे हैं। उनके परिजनों ने हर जगह उनकी खोज की लेकिन उन्हें तलाशने में नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।''उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

ऐसा घर जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र तो आधा तेलंगाना में...

दो अलग-अलग राज्यों में रहता है एक परिवार

क्या आपने कभी ऐसे घर में रहने की कल्पना की है जो दो अलग-अलग राज्यों की सीमा के साथ खड़ा हो? जी हां, कुछ ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य अलग-अलग राज्य में रहते हैं. चंद्रपुर जिले की सीमावर्ती जिवती तहसील के महाराजागुडा गांव में पवार परिवार महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों राज्यों में रहता है. 13 सदस्यीय पवार परिवार दो राज्यों के बीच रहने का अनुभव बेहद ही अनोखा है. उनकी अजीब भावना हैं और वह इसे लोगों के साथ साझा भी करते हैं. मीडिया में आई खबर के मुताबिक, दोनों राज्यों ने महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा से लगे 14 गांवों पर अपना दावा किया है.

दो राज्यों के बीच में मौजूद है यह घर

ये गांव दोनों राज्यों के कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं और यहां तक कि महाराष्ट्र और तेलंगाना रजिस्टर्ड प्लेट वाले वाहनों के भी मालिक हैं. वे दोनों

राज्यों को टैक्स भी देते हैं. बताते चले कि महाराजगुड़ा गांव में उनके 10 कमरों के घर में चार कमरे तेलंगाना में और चार कमरे महाराष्ट्र में हैं. रसोई तेलंगाना में स्थित है, जबकि बेडरूम और हॉल महाराष्ट्र में स्थित हैं. परिवार इस मकान में वर्षों से रह रहा है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1969 में जब सीमा विवाद सुलझा तो पवार परिवार की जमीन दो राज्यों में बंट गई. नतीजा यह हुआ कि घर भी बंट गया.

एक घर के चार कमरे तेलंगाना तो चार महाराष्ट्र में

कानूनी तौर पर ये गांव भले ही महाराष्ट्र का हिस्सा हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार इन गांवों के लोगों को अपनी योजनाओं से लगातार आकर्षित कर रही है. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और लोग इस घर को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये बताओ आपका किचन तेलंगाना में है और आप महाराष्ट्र से हो तो वहां वडा पाव बनता है या फिर कोई साउथ डिश.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मूवी न बना ले कोई इन पर, किचन कर्नाटक में होता तो.' ऐसे ही कई अन्य लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी.

मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर AIMIM निकालेगी मार्च

महाराष्ट्र : ऑल इंडिया मजलिस -ए- इत्तेहाद - उल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी राज्य में मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर नागपुर में महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान एक मार्च निकालेगी। औरंगाबाद से सांसद और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने प्रस्तावित मार्च का एक पोस्टर ट्वीट करके यह जानकारी दी। ट्वीट किए गए पोस्टर के अनुसार, ''एआईएमआईएम महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में नागपुर के इंदौरा ग्राउंड से विधान भवन तक 21 दिसंबर को मार्च निकालेगी। ट्वीट में कहा गया कि मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग के अलावा पार्टी क्फ की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग पर भी जोर देगी। मंत्री ने कहा कि पार्टी मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम लिमिटेड को 1,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी के प्रावधान, झुग्गी-बस्ती निवासियों को वहां भूमि का स्वामित्व प्रदान करने और हथकरघा एवं मशीन करघा श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने समेत कई मांगें मार्च के दौरान उठाएगी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में होगा।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शनिवार, 17 दिसंबर 2022

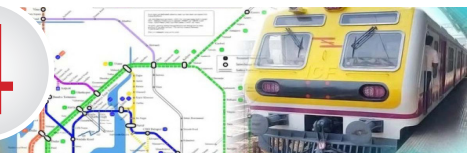

बच्चू कडू की मुश्किलें बढ़ी

मंत्रालय में मारपीट मामले में कोर्ट का नोटिस

मुंबई : प्रहार संगठन के विधायक बच्चू कडू की परेशानियां बढ़ सकती है। अदालत ने गुरुवार मंत्रालय में मारपीट मामले में बच्चू कडू को नोटिस भेजा है और उन्हें तीन जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। 26 सितंबर 2018 को एक पोर्टल को लेकर बच्चू कडू ने विरोध किया था। मंत्रालय में हंगामे के दौरान उस समय तत्कालीन निदेशक प्रदीप जैन से कहासुनी और मारपीट हो गई। इस संबंध में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अदालत ने बच्चू कडू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद वह अदालत में पेश हुए और इसे रद्द करवा दिया। गुरुवार को इसी मामले में सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। बच्चू कडू सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है।

बीजेपी नेता किरीट सोमैया और पुत्र नील सोमैया को राहत...

मुंबई : बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके पुत्र और पूर्व नगरसेवक नील सोमैया को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आईएनएस विक्रांत को बचाने की मुहिम के लिए एकत्रित किए गए करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में 40 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। जांच एजेंसी ने एस्प्लेनेड कोर्ट के समक्ष सी समरी रिपोर्ट दाखिल की, जिसका अर्थ है कि तथ्यों की गलती के कारण अपराध दर्ज किया गया और गबन के मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

जो रुपया एकत्र किया था उसे सौंप दिया

जांच के दौरान किरीट सोमैया ने पुलिस को बताया कि वह अपने समर्थकों के साथ राजभवन में तत्कालीन राज्यपाल से मिलने गए थे। किरीट ने जांचकताओं को बताया कि जो पैसा (लगभग 11,000 रुपए) एकत्र किया गया था, उसे तत्कालीन गवर्नर को सौंप दिया गया था। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि 57 करोड़ रुपए का मामला मीडिया की खबरों पर आधारित था। हालांकि, पुलिस को ऐसा कोई गवाह नहीं मिला, जो 57 करोड़ रुपए की वसूली की पुष्टि कर सकें। वहीं तत्कालीन राज्यपाल का

इस मामले में मिली क्लीन चिट

निधन हो चुका है। भारतीय नौसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के बजाय उसकी मरम्मत कर उसे संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया था। किरीट सोमैया पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे नील सोमैया के साथ मिलकर मुंबई में लोगों से फंड जुटाया था। आरोप के मुताबिक, उन्होंने राशि को महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में जमा करने के बजाय, धन का दुरुपयोग किया। पूर्व सैनिक बबन भोसले ने 7 अप्रैल 2022 को शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि सोमैया पिता-पुत्र ने इस कोष का गबन किया है। तदनुसार ट्रॉम्बे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 429, 406 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था, घन अधिक होने की वजह यह मामला ईओडब्ल्यू को सौंपा गया था।

मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला:

नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ फिर जमानती वारंट जारी

मुंबई : अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ विशेष अदालत ने जमानती वारंट फिर से जारी कर दिया है। राणा दंपत्ति बुधवार को अदालत में पेश होने में विफल रहे। उन पर पुलिस के काम में रुकावट डालने और गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप है। अब अदालत में मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए स्थगित हो गई है।

विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकड़ ने पिछली सुनवाई में राणा दंपति के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। वे पुलिस के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्हें 14 दिसंबर को अदालत में पेश होने और पांच-पांच हजार रुपए का भुगतान कर वारंट रद्द कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे इस बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने फिर से जमानती वारंट जारी कर दिया।

खार पुलिस ने इसी साल अप्रैल में राणा दंपत्ति को कथित रूप से विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि वे बांद्रा स्थित तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था।

पठान विवाद पर बीजेपी नेता राम कदम की चेतावनी!

महाराष्ट्र में नहीं चलेगी हिंदुत्व का अपमान वाली फिल्म

मुंबईः बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फेहरिस्त में अब बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम का भी नाम शामिल हो गया है। राम कदम ने आज ट्वीट करके यह कहा है कि हिंदुत्व का अपमान करने वाला कोई भी सीरियल या फिल्म महाराष्ट्र की भूमि पर चल नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि पठान फिल्म को लेकर देश के कई साधु-संत, महात्मा सहित सोशल मीडिया पर भी कई हिंदू संगठन तथा करोड़ों लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को बनाने वाले निमार्ता-निर्देशक अभी यह दायित्व है कि वह सामने आकर जो भी आपत्तिजनक बातें संतो द्वारा कही जा रही है उस पर अपना रुख स्पष्ट करें। राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में फिलहाल हिंदुत्व के विचारधारा वाली सरकार है। राम कदम यहीं नहीं रुके उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या जेएनयू धारी जनेऊधारी विचारधारा को जानबूझकर आहत करने का दुस्साहस कर रहे हैं? पठान फिल्म का हाल में बेशर्म रंग गाना रिलीज हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकीनी पहनी है। साथ ही गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के कुछ बोल्ड सीन भी हैं, जिन्हें लेकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म का टाइटल 'बेशर्म रंग' है, इसलिए कहा जा रहा है कि गाने में भगवा रंग को बेशर्म कहा गया है। इंदौर में शाहरुख और दीपिका के पुतले जलाए गए। फिल्म 'पठान' के खिलाफ विरोध का बिगुल और तेज हो गया है। हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने पहले ही इस फिल्म को रिलीज न करने देने की चेतावनी जारी कर दी थी। अब हिंदू सेना ने 'पठान' के खिलाफ मैदान में उतर आई है। हिंदू सेना ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को एक चिट्ठी लिखकर फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की है। साथ ही सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर 'बेशर्म रंग' गाने को पास कैसे किया गया, जिसमें भगवा रंग को ही 'बेशर्म' बताया गया है?

बिरयानी की दुकान में लगी थी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर, युवकों ने तोड़ी...!

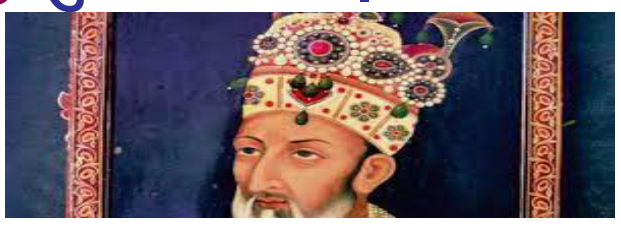

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में बिरयानी की एक दुकान में दीवार पर लगी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर को युवकों के एक समूह ने तोड़ दिया. यह जानकारी पुलिस ने दी. युवकों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को औरंगजेब का वंशज करार दिया. इस घटना के संबंध में कोल्हापुर के राजारामपुरी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

तस्वीर हटाने वाले दक्षिणपंथी संगठन से रखते हैं ताल्लुक

पुलिस अधिकारी ने कहा, ''दक्षिणपंथी संगठन से ताल्लुक रखने वाले युवकों का एक समूह बिरयानी की दुकान पर गया, जहां उन लोगों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर देखी. जिसके बाद युवकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि दीवार पर 'औरंगजेब के वंशज' की तस्वीर क्यों टांगी गई है और उन लोगों ने होटल के कर्मचारियों से इसे हटाने को कहा. होटल के कर्मचारियों ने युवकों की यह बात मान ली, लेकिन होटल से तस्वीर नहीं हटाई गई. बुधवार की रात समूह ने फिर से होटल का दौरा किया, जहां उन लोगों ने तस्वीर को दोबारी टंगा हुआ देखकर कर्मचारियों से बहस करते हुए तस्वीर को नीचे उतारा और उसे तोड़ दिया.'' बहादुर शाह जफर 20वें और अंतिम मुगल बादशाह होने के अलावा एक बेहतरीन उर्दू शायर भी थे. सन 1862 में 87 साल की उम्र में बर्मा (वर्तमान में म्यांमार) के रंगून में उनकी मृत्यु हो गई थी. सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में उन्होंने क्रांतिकारियों की अगवाई की, नाराज अंग्रेजों ने उन्हें और उनके बेटों को हुमांयू टॉम्ब से गिरफ्तार कर लिया. सजा के तौर पर अंग्रेजों ने उनके बेटों के सर कलम कर दिया और बहादुर शाह जफर को देश से निर्वासित कर बर्मा भेज दिया.

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com